भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / 07 / 34 / 2015 / एफ0सी0 / 765

दिनॉक : 11/09/015

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषयः पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बरई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कि0मी0 –68 / 14–15 पर डायवर्जन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण हेतु 0.85 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 119 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 423 / 11–सी–यू.पी. / 7218 / 2014 दिनांक– 21.8.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. भाग–1, ई में प्रस्तावित योजना से मिलने वाले रोजगार की स्थिति नही कुछ नही दर्शायी गयी है जबकि प्रस्तावित परियोजन की लागत 927.01 करोड़ है एवं इस संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र में 60,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने के बारे में सूचित किया गया है।
2. भाग–2, 13(i) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल व्यय सरांश के अनुसार दी गयी दर के साथ पृष्ठ 30 एवं 31 में दिया गया ब्यौरा मेल नही खाता है।
3. पृष्ठ 10, 11, 12 में उपलब्ध प्रत्यावर्तित होने वाली प्रस्तावित वन भूमि के मानचित्र में प्रयोक्ता अभिकरण के साथ साथ वन विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही किये गये है।
4. प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्तर के साथ आवश्यक वन खण्डों को .shp file में दर्शातें हुए नही प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध कराये गये मानचित्र में प्रस्तावित रेलवे ट्रैक की मध्य रेखा के केलव कुछ जी0पी0एस0 बिन्दुओं को दर्शातें हुए प्रस्तुत किया गया है। .shp file एवं kml file डिजीटल रूप में सी0डी0 अथवा पेन ड्राइव में प्रस्तुत करें।
5. पृष्ठ 14, 15, 16 (वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र में) संबंधित अधिकारी की मुहर नही लगी हुई है।
6. पृष्ठ 29 एवं 32 में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के गुगल मैप एवं भूसंदर्भित मैप सक्षम अधिकारी के बिना हस्ताक्षर के प्रेषित किये गये हैं।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में काफी संशोधन किये गये है जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही किया गया है। स्वच्छ प्रतिलिपि भेजें।
8. एन0पी0वी0 की दर योजना ईको क्लास एवं वानस्पति घनत्व के अनुसार प्रस्तुत करे। पृष्ठ 54 पर संलग्न एन0पी0वी0 की दर ईको क्लास एवं वानस्पति घनत्व के अनुसार काफी कम प्रतीत होती है।
9. प्रस्ताव के पृष्ठ 46 में संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही किये गये हैं।
10. पृष्ठ 51, 63, 64 एवं 68 विभाग की मुहर नही लगी हुई है।

10/9/15

11. पृष्ठ 65 पर उपलब्ध मानचित्र में क्षेत्रफल की गणना एवं पृष्ठ 69 से 72 तक में संलग्न गजट अधिसूचना में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सीतापुर, उ0 प्र0
4. अतिरिक्त महाप्रबन्धक (परियोजना), रेल विकास निगम लि0, प्रथल तल, पर्यावरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

10/9/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}